संख्या–बीमा–346/दस–82

प्रेषक,

श्री शिव शंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

वित्त (बीमा) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 1982

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग के अधीन प्रदेश में अनेक सार्वजनिक उपक्रम स्थापित हैं जिनमें इन उपक्रमोंत के अपने अधिकारी एवं कर्मचारीगण तो नियुक्त हैं ही परन्तु प्रादेशिक सेवाओं के राजपत्रित कर्मचारी भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । ऐसे कर्मचारी इन उपक्रमों में बाह्य सेवा पर माने जाते हैं और इनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वेतन से वह सभी कटौतियां की जाती हैं जो नियमानुसार शासकीय आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होती हैं ।

2––सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भी प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से रु0 20 प्रतिमास की दर से कटौती की जाती है । आरम्भ में यह कटौती लेखा शीर्षक "811–बीमा तथा पेंशन निधियां राज्य सरकार बीमा निधि सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्तियां" के अन्तर्गत क्रेडिट की जा रही थी परन्तु बाद में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सुझाव के अनुसार माह अप्रैल, 1981 से कटौती अब लेखा शीर्षक "088–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–अन्य प्राप्तियां–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन–राज्य कर्मचारियों का अभिदान" के अन्तर्गत क्रेडिट होती है । इन उपक्रमों से प्रायः मासिक शिड्यूल प्राप्त होते हैं जिससे यह विदित होता है कि यह कटौतियां अभी लेखा शीर्षक "811" के अन्तर्गत ही क्रेडिट हो रही हैं । बीमा निदेशालय द्वारा कतिपय उपक्रमों को इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए लिखा भी जा चुका है परन्तु यह देखने में आया है कि यह कटौतियां लेखा शीर्षक "088" में प्राप्त नहीं हो रही हैं । सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा यह धनराशियां कोषागारों में ट्रेजरी चालान से जमा की रही हैं और कोषागारों द्वारा मासिक लेखा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जाता है । महालेखाकार कार्यालय में भी यह प्राप्तियां लेखा शीर्षक "811" में ही क्रेडिट की जा रही हैं । बीमा निदेशालय के लिए मासिक आंकड़ों और महालेखाकार कार्यालय में विस्तार से इस भिन्नता के कारण जो परीक्षण किया गया है जिससे यह विदित हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध का जो धनराशियां क्रेडिट हो रही हैं वह "811" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ही पुस्तांकित की जा रही हैं । में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । अतएव आपसे यह निवेदन करना है कि कृपया समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को तुरन्त यह निर्देश जारी कर दिये जायें कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त राज्य कर्मचारियों (जो उनके अधीन बाह्य सेवा पर हों) के वेतन से की जाने वाली रु0 20 प्रतिमास की दर से कटौती लेखा शीर्षक "088–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–अन्य प्राप्तियां–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन–राज्य कर्मचारियों का अभिदान" के अन्तर्गत प्राप्तियों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा करायें जिससे प्राप्ति को इस धनराशि का सही–सही वर्गीकरण हो सके ।

भवदीय,
शिव शंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या बीमा–346 (1)/दस–82, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित––

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, इलाहाबाद के टी0 एम0–1, अनुभाग/कम्पाइलेशन जनरल सेक्शन–3/बुक वर्क्स–1 अनुभाग/एम0 सी0 (सी)–11 अनुभाग ।
(2) संयुक्त निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ ।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
विशेष कार्याधिकारी ।